प्रेस विज्ञप्ति

19/09/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ अधिकारी (निलंबित) हितेश कुमार सिंगला को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 7 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी मुंबई द्वारा हितेश कुमार सिंगला और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, बीएनएस की धारा 316(5) और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मई 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के दौरान, सिंगला ने दुर्भावना और आपराधिक इरादे से, बिना अनुमति के, सावधि जमा (टीडी), लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते, बचत बैंक (एसबी) खाते और चालू खाते (सीए) को धोखाधड़ी से बंद कर दिया। प्राप्त राशि एसबीआई में उसके निजी बचत खाते में जमा कर दी गई।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने पहचान से बचने के लिए 127 खाताधारकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, नाबालिगों, मृतक ग्राहकों और निष्क्रिय/डॉरमेंट खातों जैसे संवेदनशील ग्राहकों को निशाना बनाया। डायवर्ट की गई धनराशि को टुकड़ों में और गुप्त रूप से स्थानांतरित किया गया। इस कार्यप्रणाली से, सिंगला ने बैंक ऑफ इंडिया और उसके ग्राहकों को 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को नुकसान हुआ, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची और अपने पद का दुरुपयोग करके जनता का विश्वास कम हुआ।

धोखाधड़ी का पता चलने के बाद से, हितेश कुमार सिंगला फरार था और बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करने में विफल रहा। तकनीकी निगरानी द्वारा समर्थित विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने उसे अहमदाबाद जंक्शन पर सफलतापूर्वक रोककर गिरफ्तार कर लिया, जबकि वह उज्जैन से वेरावल जा रही महामना एक्सप्रेस में यात्रा करते समय बार-बार सीटें और कोच बदलकर पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद, उसके एक सहयोगी के परिसर में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।